



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24102026-277406
CG-MH-E-24102026-277406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5543]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948

No. 5543]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 16 अक्टूबर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20A के तहत

का.आ. 5760(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, इसके साथ संलग्न अनुसूची में संक्षेप में वर्णित भूमि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में "इटारसी-नागपुर शेष तीसरी लाइन" नामक मध्य रेलवे के अंतर्गत विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए आवश्यक है, अतः केंद्र सरकार इसके द्वारा उक्त भूमि के अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नागपुर (ग्रामीण) महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

परिशिष्ट 'अ'

रेल्वे अधिनियम 1989 (24 of 1989) अनुसार "इटारसी-नागपुर शेष तीसरी लाइन"

अं. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक.	गांव का नाम	तालुका	भूधारक का नाम	सवे नं. गट नं.	भूधारणा पद्धति	7/12 के अनुसार एकुण क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	02/अ-65/2025-26	भरतवाडा	नागपुर (ग्रामीण), जिला नागपुर	स्टार गृह निर्माण सह. संस्था मर्या, नागपूर	108	1	1.1300	0.028
2				रितेश लालचंद गुप्ता	107/B	1	0.9500	0.065
3				रितेश लालचंद गुप्ता	107/अ/1	1	0.4600	0.067
4				मकरंद मनोहरजी कुलकर्णी, सुरेश चांदरतन सिपानी, हेमैन्द्र दयाचंद बधानी	107/अ/2	1	1.0100	
5				नियोजित स्टार गृह निर्माण सह. संस्था मर्या. ब्राम्हणवाडा	106/1	1	2.9100	0.054

अं. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक.	गांव का नाम	तालुका	भूधारक का नाम	सवे नं. गट नं.	भूधारणा पद्धती	7/12 के अनुसार एकुण क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
6				प्रतिभा रमेश मेंढे, ज्योती मनोज मानवटकर, अनिता नविन घोष, माया देविदास झोडापे	106/2	1	1.2100	
7				नविन पंजाबराव मेंढे, सचिन पंजाबराव मेंढे, प्रकाश पंजाबराव मेंढे, पार्वतीबाई पंजाबराव मेंढे, ऋतुजा रमेश मेंढे, रौनक रमेश मेंढे, रुचिका रमेश मेंढे, प्रतिभा रमेश मेंढे, ज्योती मनोज मानवटकर, अनिता नविन घोष, माया देविदास झोडापे	106/3	1	1.8100	
8				अनिल देवाजी ठाकरे	101/1	1	1.9100	0.086
9				विजय देवाजी ठाकरे	101/2	1	2.000	
कुल							13.39 (हे.आर.)	0.30 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/Itarsi-NGP 3rd Line/Bharatwada VIg/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th October, 2026

Under clause 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5760(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government is satisfied that, for a public purpose, the land briefly described in the Schedule appended hereto is required for the Execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely **“Itarsi-Nagpur Balance 3rd Line”** under Central Railway in **Nagpur District** of the State of Maharashtra, the Central Government hereby declares its intention to acquire the said land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Nagpur (Gramin)**, in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

APPENDIX ‘A’

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Construction of the **“Itarsi-Nagpur Balance 3rd Line”** in the **District Nagpur** in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Village Name	Tahsil	Name of Landholder	Survey No.	Land Holding practices	Total area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	10/A-65/2025-26	Bharatwada	Nagpur (Rural), District Nagpur	Star Gruh Nirman Sah. Sanstha Marya., Nagpur	108	1	1.1300	0.028
2				Ritesh Lalchand Gupta	107/B	1	0.9500	0.065
3				Ritesh Lalchand Gupta	107/A/1	1	0.4600	0.067
4				Makarand Manoharji Kulkarni, Suresh Chandratan Sipani, Hemendra Dayachand Badhani	107/A/2	1	1.0100	
5				Niyojit Star Gruh Nirman Sah. Sanstha Marya., Brahmanwada	106/1	1	2.9100	0.054
6				Pratibha Ramesh Mendhe, Jyoti Manoj Manwatkar, Anita Navin Ghosh, Maya Devdas Jhodape	106/2	1	1.2100	
7				Navin Punjabrao Mendhe, Sachin Punjabrao Mendhe, Prakash Punjabrao Mendhe, Parvatibai Punjabrao Mendhe, Rutuja Ramesh	106/3	1	1.8100	

				Mende, Raunak Ramesh Mendhe, Ruchika Ramesh Mendhe, Pratibha Ramesh Mendhe, Jyoti Manoj Manwatkar, Anita Navin Ghosh, Maya Devdas Jhodape				
8				Anil Devaji Thakre	101/1	1	1.9100	0.086
9				Vijay Devaji Thakre	101/2	1	2.000	
						Total	13.39 (Ha.)	0.30 (Ha.)

[F. No. G197/Itarsi-NGP 3rd Line/Bharatwada Vlg/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)